भारत सरकार
पंचायती राज मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2411
दिनांक 06.08.2024 को उत्तरार्थ

आंध्र प्रदेश में पंचायतों का विकास

†2411. श्री अप्पलनायडू कलिसेट्टी:
श्री श्रीभरत मतुकुमिल्लिः
श्री जी. लक्ष्मीनारायण:

क्या **पंचायती राज** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगेकिः

(क) विगत पांच वर्षों के दौरान आन्ध्र प्रदेश में पंचायतों के विकास के लिए जिला-वार विशेषकर विजियानगरम, विशाखापतनम और अनन्तपुर जिलों में आबंटित और संवितरित कुल निधियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) विजियानगरम, विशाखापतनम और अनन्तपुर जिलों सहित आंध्र प्रदेश में पंचायतों के विकास के लिए जिला-वार कौन-कौन सी परियोजनाएं संस्वीकृत की गई हैं, उनकी वर्तमान स्थिति क्या है तथा निधि के उपयोग का ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान आंध्र प्रदेश में पंचायत पदाधिकारियों और सदस्यों के लिए आयोजित प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण सत्रों का जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या राज्य सरकार द्वारा उक्त अवधि के दौरान पंचायतों के विकास के लिए आवंटित निधि की बड़ी मात्रा को वास्तव में अन्य कार्यक्रमों/परियोजनाओं के लिए उपयोग में लाया गया था और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) आंध्र प्रदेश, विशेषकर विजियानगरम, विशाखापतनम और अनन्तपुर जिलों में पंचायतों का सतत विकास सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पंचायती राज राज्य मंत्री
(प्रोफ. एस. पी. सिंह बघेल)

(क) और (ख) केन्द्रीय वित्त आयोग के अंतर्गत ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए केन्द्र सरकार द्वारा पिछले पांच वर्षों के दौरान आंध्र प्रदेश राज्य सरकार को आवंटित और जारी की गई कुल धनराशि।

(रुपये करोड़ में)

क्रम सं.	वर्ष	आवंटन	जारी	केंद्रीय वित्त आयोग
1	2019-20	2622.13	2336.56	चौदहवाँ
2	2020-21	2625.00	2625.00	पंद्रहवाँ
3	2021-22	1939.00	1917.85	
4	2022-23	2010.00	1976.75	
5	2023-24	2031.00	1997.45	

तत्पश्चात, केंद्रीय वित्त आयोग निधियों का ग्रामीण स्थानीय निकायों को आवंटन वित्त आयोग/राज्य वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। तदनुसार आंध्र प्रदेश राज्य सरकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार, 2019-20 से 2023-24 तक आंध्र प्रदेश में पंचायतों के विकास के लिए आवंटित और वितरित किए गए अनुदान **अनुबंध-क** में हैं और केंद्र प्रायोजित योजनाओं (सी. एस. एस.) राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आर. जी. एस. ए.) और राष्ट्रीय शहरी वित्त (एन. आर. यू. एम. जिला-वार) के तहत पंचायतों को अनुभागित परियोजनाओं के लिए जारी की गई धनराशि का जिलेवार विवरण **अनुबंध-ख** में दिया गया है।

(ग) आंध्र प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान वार्षिक कार्य योजनाओं के अंतर्गत 2019-2024 में निर्वाचित सदस्यों और पंचायत अधिकारियों के लिए क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण (सीबीएंडटी) आयोजित किए गए हैं (2020 और 2021 में कोविड-19 महामारी अवधि के दौरान कोई कक्षा प्रशिक्षण आयोजित नहीं किया गया) और जिसका विवरण **अनुबंध-ग** में दिया गया हैं।

(घ) राज्य सरकार ने सूचित किया है कि अब तक 3-स्तरीय पंचायत राज संस्थाओं को 9865.34 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं तथा राज्य वित्त विभाग द्वारा संबंधित पंचायत राज संस्थाओं को जारी किए जाने के लिए 998.62 करोड़ रुपये शेष हैं।

जारी किए गए (केन्द्रीय वित्त आयोग) कुल 9,865.34 करोड़ रुपये के अनुदान में से, 2,265.55 करोड़ रुपये की राशि संबंधित ग्राम पंचायतों की सहमति के बिना राज्य वित्त विभाग द्वारा बिजली शुल्क के लिए आंध्र प्रदेश डिस्कॉम और ईईएसएल को भुगतान की गई।

(ङ) आंध्र प्रदेश राज्य सरकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्य पंचायत राज संस्थाओं के लिए सभी तीन स्तरों अर्थात ग्राम पंचायत विकास योजना/ब्लॉक पंचायत विकास योजना/जिला पंचायत विकास योजनाओं की तैयारी में सुविधा प्रदान की, जिसमें समग्र दृष्टिकोण अपनाया गया तथा पंचायतों के सतत विकास के लिए 11वीं अनुसूची में सूचीबद्ध सभी 29 विषयों को शामिल किया गया।

- पंचायतों के अनिवार्य कर्तव्यों को प्राथमिकता दी जाती है, जिसमें पंचायतों के पास उपलब्ध संसाधन पूल का उचित उपयोग किया जाता है, अर्थात सामान्य निधि (स्वयं के राजस्व स्रोत - ओएसआर), केंद्रीय वित्त आयोग अनुदान आदि और अभिसरण (कन्वर्जन) के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के लिए मनरेगा, एसबीएम (जी), जेजेएम आदि के तहत निधियों का उपयोग किया जाता है।

- ब्लॉक और जिला पंचायतों ने परियोजनाओं को शुरू करने में ग्राम पंचायतों का समर्थन किया।

विजयनगरम, विशाखापत्तनम और अनंतपुर जिलों में भी यही रणनीति अपनाई गई है।

विजयनगरम और विशाखापत्तनम जिले 'आकांक्षी जिलों' का हिस्सा होने के कारण स्वास्थ्य एवं पोषण, शिक्षा, बुनियादी ढांचे, वित्तीय समावेशन और कौशल विकास क्षेत्रों से संबंधित मापदंडों पर अधिक ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, जबकि कृषि क्षेत्र में उनकी रैंकिंग बरकरार है।

*****

अनुबंध-क

(दिनांक 06.08.2024 को लोक सभा में उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 2411 के भाग (क) व (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध)

2019-20 से 2023-24 तक आंध्र प्रदेश में पंचायतों के विकास के लिए आवंटित और वितरित धनराशि:

क्र. सं	जिले का नाम	राज्य सरकार अनुदान	केंद्रीय वित्त आयोग अनुदान		पंचायती राज संस्थाओं को कुल जारी राशि
		आंध्र सरकार के द्वारा आवंटित एवं जारी राशि	भारत सरकार द्वारा 14वें एवं 15वें वित्त आयोग (2019-20 से2023-24) के तहत आवंटित राशि*	आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा 14वें एवं 15वें वित्त आयोग (2019 -20 से2023-24) के तहत जारी राशि*	
1	अनकापल्ली	9.19	145.51	116.02	125.21
2	अनंतपुर	69.99	808.98	748.43	818.42
3	अन्नमय्या	15.15	141.36	112.66	127.81
4	एएसआर	3.02	112.98	90.09	93.11
5	बापतला	11.34	113.41	90.43	101.77
6	चित्तूर	92.49	798.34	742.48	834.97
7	पूर्वी गोदावरी	5.87	966.33	908.77	914.64
8	एलुरु	61.61	773.59	741.62	803.23
9	गुंटूर	66.87	727.01	685.13	752.00
10	काकीनाडा	65.34	133.37	106.35	171.69
11	कोनासीमा	3.61	146.55	116.85	120.46
12	कृष्णा	53.09	695.93	650.03	703.12
13	कुरनूल	69.32	767.84	710.65	779.97
14	नांदयाल	7.34	138.42	110.37	117.71
15	नेल्लोर	57.54	612.10	559.60	617.14
16	एनटीआर	4.55	91.24	72.75	77.30
17	पलनाडु	4.98	145.62	116.11	121.09
18	पीपी मान्यम	2.58	78.76	62.80	65.38
19	प्रकाशम	237.76	760.49	698.95	936.71
20	सत्य साई	4.00	147.78	117.84	121.84
21	श्रीकाकुलम	85.28	658.92	603.03	688.31
22	तिरुपति	7.75	141.17	112.56	120.31
23	विशाखापत्तनम	73.12	500.31	476.47	549.59

25	विजयनगरम	46.08	545.31	498.33	544.41
26	पश्चिम गोदावरी	2.84	147.18	97.39	100.23
27	वाईएसआर कडप्पा	89.84	565.46	519.61	609.45
कुल संवितरित		1150.55	10863.96	9865.34	11015.89

*इस राशि में इस राशि में आंध्र प्रदेश राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण स्थानीय निकायों [आर. एल. बी.] को भुगतान किया गया ब्याज (राज्यों द्वारा 10 कार्य दिवसों के भीतर पंचायतों को अनुदान हस्तांतरित करने में देरी के कारण) भी शामिल है।

अनुबंध-ख

(दिनांक 06.08.2024 को लोक सभा में उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 2411 के भाग (क) व (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध)

आंध्र प्रदेश में आरजीएसए और एनआरयूएम के अंतर्गत जारी और उपयोग की गई धनराशि का विवरण

क्र. सं.	जिला	आरजीएसए		एनआरयूएम	
		जारी धनराशि	उपयोग की गई धनराशि	क्लस्टर को सीजीएफ फंड का आवंटन	कुल क्लस्टर व्यय
1	श्रीकाकुलम	3,25,70,000	1,68,57,059	30.00	17.02
2	विजयनगरम	3,57,80,000	1,95,32,349	30.00	13.23
3	विशाखापत्तनम	3,63,62,000	60,38,450	15.00	8.47
4	पूर्वी गोदावरी	3,22,70,000	1,83,68,082	15.00	6.96
5	पश्चिम गोदावरी	3,48,22,130	83,15,876	30.00	9.63
6	कृष्णा	3,42,83,576	1,71,43,778	30.00	24.22
7	गुंटूर	3,53,12,000	2,56,43,033	30.00	11.50
8	प्रकाशम	3,81,62,000	2,81,49,940	30.00	24.43
9	नेल्लोर	3,50,64,794	1,49,42,997	30.00	20.99
10	चित्तूर	3,18,79,148	1,88,02,886	30.00	14.45
11	अनंतपुर	3,50,08,000	78,95,473	30.00	18.02
12	वाईएसआर	3,47,54,000	85,19,275	30.00	13.79
13	कुर्नूल	3,31,01,000	2,50,65,462	30.00	12.41
कुल		44,93,68,648	21,52,74,660	360.00	195.14

वर्तमान स्थिति: एनआरयूएम योजना को ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा बंद कर दिया गया है।

अनुबंध-ग

(दिनांक 06.08.2024 को लोक सभा में उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 2411 के भाग (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध)

आंध्र प्रदेश में प्रशिक्षित निर्वाचित प्रतिनिधियों और पंचायत अधिकारियों की संख्या

क्र. सं.	जिला	2021-22		2022-23		2023-24	
		निर्वाचित सदस्य	पंचायत अधिकारी	निर्वाचित सदस्य	पंचायत अधिकारी	निर्वाचित सदस्य	पंचायत अधिकारी
1	श्रीकाकुलम	5472	6861	4685	4341	6540	8017
2	विजयनगरम	4658	5421	6789	5516	7402	8085
3	विशाखापत्तनम	4434	6312	4215	4195	3780	4643
4	पूर्वी गोदावरी	6600	7102	7541	6969	11580	10572
5	पश्चिम गोदावरी	5527	5651	6530	5054	3353	4556
6	कृष्णा	5413	5740	4213	4244	4457	4897
7	गुंटूर	5705	6007	7612	7522	7855	5943
8	प्रकाशम	5040	5628	6325	4886	4320	4496
9	एसपीएसआर नेल्लोर	4745	4980	3410	3902	6211	7359
10	चित्तूर	6842	8475	6158	6311	9789	10681
11	अनंतपुर	5980	6143	5422	5400	4431	4716
12	वाईएसआर	4207	4360	4678	5244	5498	5889
13	कुर्नूल	5605	5727	4029	4091	4424	5507
Total		70228	78407	71607	67675	79640	85361

*****